

60A-3  
35/6/12

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT PATNA**

**(CIVIL WRIT JURISDICTION)**

C.W.J.C no.....of 2012.

Madhulata Devi .....petitioner

Versus

The state of Bihar through Principle Secretary Department of Law, Patna & others  
.....respondents

**Subject- Election matter (Nagar Panchayat, Municipal)**

**INDEX**

<u>Sl. No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page No.</u>
1.	An application under article 226 with affidavit.	1-13
2.	Annexure -1: A copy of the form 'chha' dated 2/5/2012.	14
3.	Annexure -2: A copy of reply dated 4/5/2009	15
4.	Annexure -3: A copy of show cause notice dated 5/1/2012.	16
5.	Annexure -4: A copy of letter no. 40 dated 3/5/2012.	17
6.	Annexure -5: A copy of reply dated 7/5/2012.	18
7.	Annexure -6 : A copy of resignation letter dated 18/4/2012	19
8.	Annexure -7: A copy of order dated 12/5/2012Vide Memo no. 50.	20
9.	Annexure -8: A copy of the order dated 13/5/2012, vide memo no 71.	21
10.	Annexure -9 : A copy of representation dated 15/5/2012	22
7.	Vakalatnama	

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT PATNA**

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. no.....2012

Madhulata Devi .....petitioner

VERSUS

The State of Bihar through the Principal secretary Department of Law Patna  
and others .....Respondents

SUBJECT:-ELECTION MATTER (Nagar Panchayat Municipal)

**SYNOPSIS****RELIEFS:-**

For issuance of writ in the nature of Certiorari for quashing the order dated and 13/5/2012, vide memo no. 71, issued District Election Officer (Respondent No.-6) who has been pleased to disqualify the petitioner to contest the election for the post of Ward Parshad in ward no. -5 Muraliganj, Madhepura, which was to be held on 19/5/2012.

For, quashing the order dated 12/5/2012, vide memo no. 3173 issued by the respondent no.4, who has been pleased to give direction to the District officer – cum- Election officer (Municipal) Madhepura, to delete the reject the nomination paper the petitioner by passing an appropriate order and delete the

name of the petitioner and symbol from the list and to lodge a case against the petitioner.

For, holding that the job of the petitioner not come on the job of the profit, when she had relinquished the job nearly about 3 years before she filed nomination paper and she also filed resignation letter 3 days before the date of nomination and thus section 18 of the Bihar Municipality Act 2007 was not applicable in her case.

For issuance of appropriate writ to cancel the election the election of Nagar Panchayat Muraliganj held in ward no. 5 on 19/5/2012.

For, a direction to hold election of ward no. 5 Muraliganj Nagar Panchayat Muraliganj, Madhepura a fresh after holding the same as illegal.

For, issuance of any other appropriate writ/writs, order/orders, direction/directions as to your Lordships may appear fit and proper in the facts and circumstances of the case.

#### FACTS OF THE CASE:-

SL. NO.	DATE	Annexures	EVENTS
01.	21/04/2012 -		The petitioner had filed her nomination paper before Returning Officer and on the date of scrutiny, since no objection was raised by any

- one, therefore, the nomination of the petitioner was accepted by the Returning Officer.
02. 02/05/2012 - (Annexure -1) - Tala-Chabi Symbol has been assigned to the petitioner by returning officer after scrutiny.
03. 02/05/2012 - Punam Devi Angan Bari Sevika made a complaint before the authority against the petitioner to the effect that she is holding a post of Assistant of Angan Bari Kendra 2. Matter was referred to C.D.P.O and District Programme Officer Madhepura.
04. 21/4/2009 - annexure -2 A copy of reply by the petitioner to the C.D.P.O. Madhepura.
06. 05/1/2012- Annexure-3, A show cause notice to the petitioner by District Programme Officer saying that why not your selection should be cancelled as she is absentee since 18 month.
07. 03/05/2012 – Annexure-4, Vide memo no.40 show cause was called for by the Election officer Nagar Panchayat Muraliganj Madhepura.
08. 07/05/2012 – Annexure-5, Petitioner filed show cause/reply before Election officer saying that she is not holding any job of profit.

09. 18/04/2012 - Annexure- 6, petitioner filed resignation letter before District Programme Officer Madhepura.
10. 12/05/2012- Annexure-7, Letter no. 3173 dated 12/5/2012, Order of Secreter State Election Commission (Respondent no. 4) to disqualify the petitioner as she is deemed to be in job.
11. 13/05/2012 – Annexure-8, District election officer has been pleased to disqualify the petitioner to contest the election for the post of ward Parshad in ward no. 5, Muraliganj, which was to be held on 19/05/2012 as per direction given by the State Election Commission Bihar Patna by his memo no. 50-105/2012-3173, dated 12/5/2012.
12. 15/05/2012 - Annexure -9, Petitioner filed representation before all the concerned authority to allow her to take part in contest of the election which was to be held on 19/05/2012 but authorities refused to allow the petitioner to contest the election.

Hence this writ application.

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE, AT PATNA**  
**(CIVIL WRIT JURISDICTION)**

C.W.J.C no.....of 2012.

In the matter of an application under-  
Article 226 of the constitution of India;

And

In the matter of:-

MadhuLata Devi W/O Late Kamal Kishore Mandal Resident of village  
Muraliganj Ward No. -5 Jairampur P.S- Muraliganj Dist. Madhepura

.....petitioner

Versus

1. The state of Bihar through Principal Secretary Department of Law,  
Patna.

2. The state Election Commission, Sone Bhawan, Birchand Patel Path, Patna.
3. The State Election Commissioner, (Nagar Panchayat) Sone Bhawan Birchand Patel Path Patna
4. The Secretary, The State Election Commission, Sone Bhawan, Birchand Patel Path Patna,
5. The District Magistrate-Cum-Returning Officer Nagar Panchayat, Muraliganj District-Madhepura.
6. The Election Officer, Nagar Panchayat, Muraliganj, Dist. Madhepura.
7. Punam Devi w/o *Bidhan Malakar* Angan Bari Sevika Kendra no. 2 Nagar Panchayat, Muraliganj District -Madhepura

.....Respondents

To

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the chief justice of the high court of judicature at Patna and her companion justices of said Hon'ble court.

The Humble petition on behalf of the above named petitioner;

MOST RESPECTFULLY SHEWETH: --

1. That in the instant writ application the petitioner prays for the following Reliefs;-

- a) For issuance of writ in nature of Certiorari for quashing the order dated 13/5/2012, Vide Memo No. 71, issued by the Election Officer (Respondent No.-5) who has been pleased to disqualify the petitioner to contest the election for the post of Ward Parshad in ward no. -5 Muraliganj, which was to be held on 19/5/2012.
- b) For, quashing the order dated 12/5/2012 vide memo no. Nagar Nigam50-105/2012-3173 issued by the respondent no 4 without any notice or opportunity of hearing to the petitioner.
- c) For, holding that the work done by the petitioner as the assistant in Aangan Bari Kendra no. 2, Muraliganj, Madhepara, since 2009 was not working on the said post nor she was getting any payment for the said post since 2009 and thus section 18 Bihar Municipality Act 2007 was not applicable in her case.
- d) For issuance of appropriate writ to cancel the election of Nagar Panchayat Muraliganj held in ward no. 5 on 19/5/2012.
- e) For, a direction to hold election of ward no. 5 Nagar Panchayat Muraliganj, Madhepara, a fresh after holding the same is illegal.
- f) For, issuance of any other appropriate writ/writs, order/orders, direction/directions to which the petitioner may be found entitled in the facts and circumstances of the case.



2. That the substantial question of law involved in the present writ application are as follows:-
- a) Whether the impugned order passed by the respondent no. 2 is illegal, arbitrary, malafide, unreasonable and untenable in law?
  - b) Whether the petitioner will be deemed to be on the job of profit, when she had relinquished the same nearly three years i.e. 2009 before the date she filed her nomination paper?
  - c) Whether the resignation letter filed by the petitioner 3 days before the date of nomination cannot be treated as having relinquished her job?
  - d) Whether in such circumstances section 18 of the Bihar Municipality Act is applicable in the case of the petitioner who was not in a service on the crucial date?
  - e) Whether the complaint made by respondent no. 7 was examined and enquired in to in presence of the petitioner or after giving due notice to her?
  - f) Whether the Respondent no.-5 (returning officer) and the State Election Commission could have passed the order without giving notice or hearing the petitioner in such an important matter?
  - g) Whether by the impugned action of the respondents, the petitioner has been denied her valuable constitutional right to contest the election in the democratic set up of the country

- h) Whether the name of the petitioner published in the list as the valid candidate for contest of post of ward Parshad after scrutiny of nomination paper by the Returning officer and his decision had final in view of the proviso contained Rules 46 and 47 of the Bihar Municipal Election Rules, 2007?
  - i) Whether the symbol has assigned to the petitioner as a candidate under Rule 50 of the Bihar Municipal election Rules, 2007 is valid.
  - j) Where the impugned order passed by the Respondent No. 3 and 6 are otherwise bad in Law?
  - k) Whether the writ petitioner is entitled to the reliefs prayed for on various other grounds also, to be placed at the time of hearing?
3. That the petitioner is a citizen of India residing well within the territorial Jurisdiction of this Hon'ble Court and as such entitled to seek the protection of law guaranteed under the constitution of India.
4. That in the general Nagar panchayat election held in the state of Bihar in the year 2012, the petitioner was a contesting candidate for the post of ward Parshad of Nagar Panchayat ward no. 5 of the Muraliganj in the District Madhepura for which the petitioner had filed nomination before the returning officer before the cut-off date.
5. That on the date of scrutiny of nomination paper, no objection was raised by any one against the nomination of the petitioner, the

nomination of the petitioner was accepted by the Returning officer and she was allowed to contest the election.

6. That on 2/5/2012 'Tala Chabi' symbol was assigned to the petitioner under Rule 15 of the Bihar Municipal Election Rule 2007 by the returning officer.


A copy of the form 'chha' dated 2/5/2012 is annexed herewith and marked as Annexure -1 to this application.

7. That on 14/5/2012 petitioner received a memo no. 71 dated 13/5/2012 issued under the signature of the respondent no -4 by which nomination letter of the petitioner was cancelled and name & symbol of the petitioner was deleted in the said election.

8. That one Punam Devi who is one of the Aangan Bari Sevika of Kendra no.2 has sent a written complaint before the respondent no. 5 alleging therein that the petitioner is holding a post of assistant of Aangan Bari Kendra 2 and without resignation of the said post she filed nomination paper for the post of ward Parshad of ward no. 5 Muraliganj, Madhepura.

And there after matter was referred to the C.D.P.O. Muraliganj for enquiry and also to the District Programme Officer Muraliganj.

9. That the C.D.P.O. after enquiry sent her report to the effect that said Madhulata Devi assistant of Angan Bari Kendra 2 is absentee for the



last 30 months from her duty but she has not given any resignation from the said post.

10. That thereafter show -cause was called for from the petitioner and she sent reply that she left the work of assistant of Angan Bari Kendra 2 and is not getting any payment since 2009.
11. That on earlier occasion on 21/4/2009 C.D.P.O. Muraligani issued a show-cause notice to the petitioner about her absence from the duty and the petitioner has filed reply on 4/5/2009 stating therein that she had left the work earlier and also disclose the conduct of the respondent no.7 who has made complaint against the petitioner in the present case.

A copy of reply dated 4/5/2009 is annexed herewith and marked as Annexure -2 to this application.

12. That District Programme Officer Madhepura Has also sent a show cause notice vide memo no.15 dated 5/1/2012 to the petitioner saying that why not your selection for the post should be cancelled as you are absent in your Kendra since 18 months .And the petitioner filed reply that she has not working on the said post.

A copy of show cause notice dated 5/1/2012 is annexed herewith and marked as annexure- 3 to this application.

13. That the election officer has sent a show cause notice to the petitioner vide letter no. 40 dated 3/5/2012.

A copy of letter no. 40 dated 3/5/2012 is annexed herewith and marked as Annexure -4 to this application.

14. That the petitioner filed reply stating therein that she had left the work earlier in 2009 and not getting any payment for the same. She also said in her reply on 7/5/2012 that all allegation against are false.

A copy of reply dated 7/5/2012 is annexed herewith and marked as Annexure- 5 to this application.

15. That the petitioner also filed resignation letter on 18/4/2012 before election officer Madhepura.

A copy of resignation letter dated 18/4/2012 is annexed herewith and marked as annexure- 4 to this application.

16. That District Programme Officer sent a letter no. 603 dated 8/5/2012 to the effect that the petitioner had not submitted any valid resignation nor she has been removed from the post of assistant Angan Bari Kendra 2 at the level of District. It was for the authority to accept the resignation as soon as it was submitted and for non acceptance of the same the petitioner is not liable.

17. That thereafter, matter was referred before the state election Commission (respondent no.2) and without any notice the petitioner State Election Commissioner, Bihar has been pleased to sent a letter no. Nagar Nigam 50-105 720/ 3173 dated 12/5/2012 with a direction to the returning officer to cancel the nomination paper of the petitioner and also delete the name and symbol of the petitioner from the said election list of the candidate which was given by the Returning officer on 2/5/2012 and also directed to lodge a case against the petitioner for suppressing the material fact in filing the nomination paper.

A copy of order dated 12/5/2012 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to this writ application.

18. That on the above said direction nomination paper of the petitioner has been cancelled and name & symbol of the petitioner has been deleted from the election list vide memo no.71 dated 13/5/2012.

A copy of the order dated 13/5/2012 vide memo no. 71 is annexed herewith and marked as Annexure - 6 to this writ application.

19. That the petitioner has filed representation before all the concerned authority on 15/5/2012 to allow the petitioner to take part in election which was to be held on 19/5/2012 but to no effect.

A copy of representation dated 15/5/2012 is annexed herewith and marked as Annexure-7 to this application.

20. That it is apparent from contents of the memo no. 71 dated 13/5/2012 and memo no 3173 dated 12/5/2012 that the respondent no.4 and 6 without any notice or opportunity of hearing given to the petitioner have passed an order behind the back of the petitioner, which is without application of mind by the respondent and is wholly against the principal of Natural Justice.
21. That it is mandate of the Bihar Municipality Rule 46 that order passed by the Returning officer is final in view of the proviso content in Rule 47, and the State Election Commission cannot sit over the decision of returning officer accepting or rejecting the nomination paper, if legislation has not referred under power of appeal to the State Election Commission under the proviso of the Act and the Rules made there under but in this case authority has passed the order in mechanically manner, which is wholly against the principal of natural Justice .
22. That admittedly the petitioner was posted on contractual post of assistant of Angan Bari Kendra 2 in the year 2007 and was not working since 2009 and also not getting any payment thereafter.
23. That it is mandate of the law of the Gram Panchayat that if any person who is an assistant of Angan Bari Kendra, if she is absent for more



than 15 days regularly on the working place she will be removed from the post by the authority concern and it will deemed to be that she resigned from the post, and in the present case petitioner was not working on the said post and not getting any salary since 2009 itself, which was admitted by the inquiry officer, hence she is not holding any post of profit of said Municipality and therefore, her disqualification to contest the election is totally illegal and arbitrary as she has not violated any provision laid down u/s 18 of the Municipal Act 2007.

24. That the order passed by the Respondents 4 and 6 are based upon a total misconceived interpretation of the proviso contained in section 18 of Bihar Municipality Act 2007, is therefore, fit to set aside.
25. That in the above fact and circumstances that the impugned order passed by the respondent no. 4 and 6 is fit to be quashed.
26. That the petitioner has got no other alternative or efficacious remedy for redressal her grievances except to move this Hon'ble Court in this writ jurisdiction.
27. That the petitioner has not come to this Hon'ble Court earlier with respect to the contents of this writ application or against the relief prayed for.

It is, therefore, most humbly prayed that your Lordships may be pleased to admit this application issue Rule NISI calling

upon the Respondents to show cause as to why the prayer made by the petitioner in Para -1 of this writ petition be not allowed and on return of the Rules, perusing the show cause if any, and after hearing the parties be pleased to make the Rules absolute against the respondents and vacate the same in favour of the petitioner.

And/or

Pass such other order/orders, give direction/directions as Your Lordships may be deemed fit and proper in the facts and circumstances of the case.

And for this the petitioner shall ever pray.

## AFFIDAVIT

I, Madhulata Devi , aged about 45 years, Wife of late Kamal Kishore Mandal resident of village – Muraliganj, Ward no. 5 Jairam pur P.S. Muraliganj, District – Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have understood the same. The statements made in paragraph no. 5, 19, 20, 22, 23 and 24, 26 are true to the best of my knowledge and belief and those made in paragraph nos. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 to 18 and are true to my information derived from the records of the case and the rest are by way of submissions before this Hon'ble Court.
3. That the Annexures are True/Xerox copies of their respective originals.

5

प्रपत्र-छ  
प्रतीक आवंटन की सूचना



कार्यालय निर्वाची पदाधिकारी

बी.बी. 100

मुरलीगंज

~~विधान सभा निर्वाचन/संसद निर्वाचन/समस्त पंचायत~~

प्रेम

माधुलता देवी  
पति स्व. कमल किशोर मंडल  
वार्ड सं०-०५, मुरलीगंज

विषय : पंचायतिका आम निर्वाचन, 2012 - निर्वाचन प्रतीक आवंटन की सूचना।

सम्बन्धी निर्वाचन प्रपत्र क्रमांक 10 प्रकाशित किया जाता है कि आपका नाम मुरलीगंज ~~विधान सभा निर्वाचन/संसद निर्वाचन/समस्त पंचायत~~ के वार्ड संख्या 05 में निर्वाचन 17.05.2012 को होने वाले निर्वाचन के लिए अत्यावधि की सूची [प्रपत्र सं० 10] में अंकित है तथा उपरोक्त निर्वाचन प्रतीक का नाम ताला और चाबी प्रतीक आवंटन कार्य संपन्न है। निर्वाचन प्रपत्र की अनुकूलि संलग्न है।

स्थान: म० सं० मुरलीगंज  
दिनांक: 02.05.2012

निर्वाचन अधिकारी  
मुरलीगंज  
02.05.2012

मुरलीगंज निर्वाचन क्षेत्र

Annexure-1

Typed copy 14

15

प्रपत्र-छ

प्रतीक आवंटन की सूचना

कार्यालय निर्वाची पदाधिकारी

मुरलीगंज नगर पंचायत

प्रेषित,

मधुलता देवी

पति स्व0 कमल किशोर मंडल

वार्ड सं0 05, मुरलीगंज।

विषय- नगरपालिका आम निर्वाचन 2012 निर्वाचन प्रतीक आवंटन की सूचना।

उपर्युक्त विषयक एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नाम मुरलीगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 05 हेतु दिनांक 17.05.2012 को होने वाले निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की सूची ( प्रपत्र- 14(ख) में अंकित है तथा आपको निर्वाचन प्रतीक के रूप में ताला और चाबी प्रतीक आवंटित किया गया है। निर्वाचन प्रतीक की अनुकृति संलग्न है।

स्थान न0 प0 मुरलीगंज

दिनांक 02.05.2012

ह0 / अरपष्ट

निर्वाची पदाधिकारी

नगर पंचायत मुरलीगंज।

आज के प्रमुख परिपत्र का  
यु. पी. का. असेसमेंट

विषय - आंगन वाड़ी केन्द्र पर उपस्थित रहने के संबंध में  
प्रस्ता - अलखी पत्र 80 दिनांक 21-01-09

महोदय,  
उपर्युक्त विषय के संबंध में अवधीय द्वारा रखा/किया गया  
आज्ञा है कि मैं पिछले डेढ़ माह से अपने आंगनवाड़ी केन्द्र से  
अनुपस्थित रह रही हूँ। अवधीय को ज्ञान है कि मैं आंगनवाड़ी  
केन्द्र बखलाखान नगरापुर मंडल लेला 3 केन्द्र को छोड़ रही हूँ।  
केन्द्र अलखी पत्र से ही बखलाखान नगरापुर में चल रही रहा था।

विभागीय असेसमेंट  
मैं आज भी नियमित अपने नियमित केन्द्र पर जाती हूँ लेकिन  
पिछले डेढ़ माह से सेविका द्वारा क्या केन्द्र नहीं चलाया जा  
रहा है। केन्द्र नहीं चल रही का वही इसकी कोई भीजित या  
मौखिक सूचना नहीं दी गई है। इससे कुछ दिनों अज्ञान हुआ  
है कि सेविका अंगन वाड़ी पर ही अवगत तरीके से क्या कार्य करना  
केन्द्र चलाती है और पोषाखर की गाड़ि का शीतकरण करती  
है। अपने द्वारा यह केन्द्र चलाया जा विभागीय असेसमेंट से भी नियमित  
की कोर अवगत है।

आंगनवाड़ी में भीमान ले नियमित है कि मुझे यह सूचना देना  
कि आंगनवाड़ी में बखलाखान नगरापुर में क्या केन्द्र चल रहा है।  
कहा लगाएलिन कि क्याकि बखलाखान में मैं शेष अवधि का कार्य  
करने हेतु जा रही हूँ, लेकिन क्या केन्द्र बन्द है रहती है। उक्त  
आज्ञा पर अवगत है। इस मुझे अवगत रहने के कारण से  
मुझे केन्द्र में कार्य करनी चाहिए। क्या केन्द्र चल रहा है।  
अपनी भी जानकारी

आंगनवाड़ी  
असेसमेंट  
आंगनवाड़ी असेसमेंट  
आंगनवाड़ी असेसमेंट  
केन्द्र को छोड़

सेवा में,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

मुरलीगंज मधेपुरा।

विषय— आंगनवाड़ी केन्द्र पर उपस्थित रहने के संबंध में

प्रसंग— भवदीय पत्रांक 80 दिनांक 21.04.09

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में भवदीय द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया है कि मैं पिछले डेढ़ माह से अपने आंगनवाड़ी केन्द्र से अनुपस्थित रह रही हूँ। भवदीय को ज्ञात है कि मेरा आंगनवाड़ी केन्द्र ब्रम्हस्थान जयरामपुर मंडल टोला 1 केन्द्र कोड 02 है। केन्द्र से ब्रह्मस्थान जयरामपुर में चल रहा था। मैं विभागीय आदेश आज श्री नियमित अपने निर्धारित केन्द्र पर जाती हूँ लेकिन पिछले डेढ़ माह से सेविका द्वारा वहाँ केन्द्र नहीं चलाया जा रहा है। केन्द्र कहीं चल रही या नहीं इसकी कोई लिखित या मौखिक सूचना नहीं दी गई है। इधर कुछ दिन पहले ज्ञात हुआ है कि सेविका अपने घर पर ही गलत तरीके से यदा कदा केन्द्र चलाती है और पोषाहार की राशि का भी गवन करती है। अपने घर पर केन्द्र चलाया विभागीय आदेश एवं नियमों की धोर अवहेलना है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुझे यह बतलाया जाय कि आंगनवाड़ी केन्द्र ब्रम्हस्थान जयरामपुर मंडल टोला 1 केन्द्र कोड 2 कहां संवाहित है क्योंकि ब्रम्हस्थान से मैं रोज सहायिका कार्य करने जाती हूँ लेकिन वहाँ केन्द्र बंद रहती है। उक्त बातों पर ध्यान देते हुए मुझे अनुपस्थित रहने के आरोप से मुक्त करने तथा उचित मार्ग दर्शन देने की कृपा की जाय।

विश्वाराभाजन

मधुलता देवी

आंगनवाड़ी सहायिका

ब्रह्मस्थान जयरामपुर मंडल टोला 1

केन्द्र कोड 02

समाह्वानाय मन्त्रपुर  
जिला प्रोग्राम शाखा

आपका 15

दिनांक 5/1/12

प्रति,

श्रीमती मधुलता देवी, लखारंका  
कैन्दर्य 2 ब्रह्म हवाल  
परियोजना - मुलीगंज

विषय:- लम्बे समय से अपने कार्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण।

व्याप्त विकास परियोजना पदा मुलीगंज पत्रांक 503 दिनांक 17/12/11 द्वारा प्रलेखित किया है कि आप विगत 18 माह से कैन्दर्य पर लगातार अनुपस्थित रह रही हैं। विदित है कि आप स्वर्ण प्रचण्ड के जॉर्ज कस्बानी रूप से अनुपस्थित रहना विषय के विस्तृत रूप से कर्तव्य लेना का धोरण है इसके लिए क्या गंभीरता का चयन रद्द कर दिया जाय ?

आतंक आपको निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 9/1/2012 को कार्यालय कार्पे कवचि में अव्योहताक्षरी के कार्यालय कक्षा में स्वयं उपस्थित होकर आपका स्पष्टीकरण देना सुनिश्चित करें। अन्यथा यह समाप्त जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है और आपका लीके चयन रद्द कर दी जायेगी।

दिनांक 5/1/12  
जिला प्रोग्राम पदा  
मन्त्रपुर



Annexure-3

Typed Copy

16

समाहणालय मधेपुरा

जिला प्रोग्राम शाखा

ज्ञापांक 15

दिनांक 5.1.12

प्रेषित,

श्रीमती मधुलता देवी, सहायिका

केन्द्र सं० 2 ब्रह्मनस्थल

परियोजना मुरलीगंज।

विषय-- लम्बे समय से अपने कार्य से अनुपस्थित रहने के संबंध में स्पष्टीकरण।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुरलीगंज पत्रांक 503 दिनांक 17.12.11 द्वारा प्रतिवेदित किये हैं कि आप विगत 18 माह से केन्द्र पर लगातार अनुपस्थित रह रही है। विदित हो बिना पूर्व सूचना के गैर कानूनी रूप से अनुपस्थित रहना नियम के विरुद्ध है तथा कर्तव्यहीनता का द्योतक है। इसके लिए क्यों न आप का चयन रद्द कर दिया जाय?

अतएव आपको निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 9.1.2012 को कार्यालय कार्य अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण देना सुनिश्चित करें। अन्यथा यह समझा जायेगा कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है और आपका सीधे चयन रद्द कर दी जायेगी।

ह०/ अरुण

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

मधेपुरा।

कार्यालय -- निर्वाची पदाधिकारी, मुरलीगंज

17

पत्रांक 40 /

प्रेषक,

निर्वाची पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, मुरलीगंज।

गेषा में

मधुसूता देवी  
व्यवस्था, वार्ड सं०-०५  
नगर पंचायत, मुरलीगंज आम चुनाव 2012

मधेपुरा, दिनांक १३ जून 2012 उ० ।

विषय :- सहायिका के पद पर कार्यरत रहने तथा नामांकन देने का संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचना करना है कि आपके विरुद्ध सूचना प्राप्त हुई है कि आप मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या-02 में सहायिका के पद पर कार्यरत में पदाभ्यासित हैं।

विचार समन्वयित्व अधिनियम के तहत आंगनवाड़ी सहायिका वाले पदों के पद पर नियुक्ति हेतु अर्जवाही नहीं हो सकते हैं, जबकि आपने वार्ड संख्या 05 से नामांकन दाखिल किया है तथा इस तथ्य का समर्थ-पत्र भी दाखिल किया है।

आप उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में आप पत्र प्रेषित के 24 घण्टे के अन्दर समझ कर कि आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कायुक्त विधि-समस्त कारवाइ क्या ली जायेगी।

आपका विश्वासू

31/5/12

नगर पंचायत, मुरलीगंज।

लेता में

आमंत्रण - 5

18

श्री. मा. वि. वि. पदाधिकारी

जवा पंचायत मुख्यालय

*Handwritten signature*

07/5/2012

4.45 p.m.

विषय - आपसे पत्र - 40 के लघुशिक्षण के खर्चों के

सफल विषय के खर्चों में जवा पंचायत मुख्यालय  
आमंत्रण 2012 में में प्रमुखता देगी यदि खर्चों का  
विशेष (मंडल नंबर - 5 (पंच)) का अंश है। मुख्य  
आरोप है कि में आगतवादी केन्द्र (को) के  
जवा पंचायत में खर्चों पर कार्य रत है।

मुख्य पर जो आरोप लगाया गया है यह  
विस्तृत ही जगत है। में वर्ष 2009 जुलाई से ही कार्य  
होड़ चुकी है। न ही साहायिका भत्ता पाया है जिसकी  
सम्पूर्ण सेट्स बैंक खाता मुख्यालय खाता संख्या -  
1866 872662 से किया जाता है। मुझे वेग (खुब) से  
दिये गता तब का दिना जया और में खर्चों से  
अत्रि तब काम कर के होड़ चुकी है। इस कार्य से  
प्रोग्राम पदाधिकारी किसी भी प्रकार का बने रहने की  
कोई सूचना नहीं दिये है।

अतः श्री. मा. से निवेदन है कि हमारे  
जो शपथ-पत्र जगत के दायरा दिया है, यह विस्तृत  
ही सत्य है। इसी पूरी प्रो. की मा. तत्पश्चात ही  
विधि सजा कार्यवाही की मा. इसके लिए श्री. मा.  
की वरा अभावी बनी रहेंगी।

दिशाली

मुख्यालय

जवा पंचायत मुख्यालय  
मुख्यालय  
मुख्यालय

Annexure-5

Typed copy

18

मेरे,

श्री मान निर्वाची पदाधिकारी,

नगर पंचायत, भुरलीगंज,

महाराष्ट्र,

उपरोक्त विषय के संबंध में नगर पंचायत भुरलीगंज आम चुनाव 2012 में  
मैने लक्ष्मिता देवी पति स्व० कमल किशोर मंडल वार्ड नं 5 का उम्मीदवार हूँ। मुझे पता  
आरोग्य है कि मैं आगत वारी केन्द्र संख्या 2 में नगर पंचायत में सहायिका के पद पर  
करियर हूँ।

मुझे पता पर जो आरोप लगाया गया है वह बिल्कुल ही गलत है। मैं जहाँ जहाँ जूलाई  
में मेरे कार्य छोड़ चुकी हूँ। न ही सहायिका करता पाती हूँ जिसकी सम्पूर्णित से प्रत्येक  
नगर भुरलीगंज ताता संख्या 1866872642 से चल सकता है। मैं स्वच्छता से उत्तम तक  
कार्य को काम छोड़ चुकी हूँ। इन कार्य से प्रायः पदाधिकारी किसी प्रकार का धर्म रहने  
को कोई सूचना नहीं दिये हैं।

अतः श्री मान से निवेदन है कि हमने जो साथ पदा किया है यह बिल्कुल ही सत्य  
है। हमारी पूरी जांच की आज सम्भवतः ही भिन्न नाम कार्यवाही के लिए प्रमाणित किन्तु  
मेरे नाम का नाम अज्ञाती नहीं रहनी

सम्पूर्णतः मेरे

पति स्व० कमल किशोर मंडल वार्ड नं 5

नगर पंचायत भुरलीगंज महाराष्ट्र

सेवा में

Annexure - 6

जिला उद्योग बहालकारी

19

सप्लेडा।

विषय -

सहायिका के पद पर कार्य से समाप्त करने के संबंध में।

महोदय।

जिसे 30 के साथ सहना है कि मैं सप्लेडा के वि  
 धित एवं कर्मचारी (महोदय) को सप्लेडा का रहीं-वाली सहित-हूँ मैं कांताबाड़ी  
 केन्द्र एवं 02 कुलीमन - मैं सहायिका के पद पर कार्य कर रही थी। मैं 30  
 पद पर कार्य नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं वर्तमान में ही कार्य  
 छोड़ रही हूँ।

जो कि प्रमाण के आशुयुक्त है कि मैं दिनांक 15/4/12  
 से प्रमाण से सहायिका के पद पर कार्य से समाप्त करने के रही हूँ।

विश्वामोहिनी

सप्लेडा / 15/4/12  
 (सप्लेडा के) सहायिका  
 कांताबाड़ी केन्द्र एवं 2-  
 कुलीमन सप्लेडा

Amma's copy

Typed copy

19

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पर्यवेक्षक,

मधेपुरा ।

महोदय,

निवेदन के साथ कहना है कि मैं मधुलता देवी पति लडो कमल सिंह, महुल  
ग्राम पोस्ट सुरलीमंडल का रहनेवाली हूँ । मैं आंगन बारी केन्द्र संख्या- 2 में सहायिका  
के पद पर कार्य रही थी । चूंकि मैं वर्ष 2009 में ही कार्य छोड़ चुकी हूँ ।

अतः श्री मम ने अनुरोध है कि मैं दिनांक 15/4/12 के प्रभाव से सहायिका के  
पद पर कार्य से तदाव पद दे रही हूँ ।

वि वा आज्ञा

मधुलता देवी सहायिका

18/4/2012

आंगन बारी केन्द्र नं- 2

मधुलता देवी मधेपुरा



पत्र संख्या-न०नि० 50-105/2012- 3173

प्रेषक,

 सचिव,  
 राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

संलग्न में,

 जिला पदाधिकारी-सह-  
 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)  
 मधुबनी।

पटना, दिनांक - 12 मई, 2012

विषय :- नगर पंचायत, गुरलीगंज के वार्ड संख्या 05 की प्रत्याशी श्रीमती मधुलता देवी द्वारा द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्यरत रहने के संबंध में।

 प्रसंग :- आपका पत्रांक 525/पं० दिनांक 11.05.2012  
 महाशय,

विदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रारंभिक पत्र से प्राप्त प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि नगर पंचायत, गुरलीगंज के वार्ड संख्या 05 की प्रत्याशी श्रीमती मधुलता देवी द्वारा द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्यरत रहते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया गया है एवं शपथ पत्र में इस तथ्य को छुपाया गया है।

2. प्राप्त प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त आयोग द्वारा विदेश दिया गया है कि श्रीमती मधुलता देवी का नामांकन पत्र एक सुमितयुक्त एवं मुखर आदेश सहित कर अस्वीकृत करते हुए प्रपत्र-14 (ख) से उनका नाम एवं प्रतीक चिन्ह हटा दिया जाय। प्रपत्र-14 (ख) में शेष प्रत्याशियों का नाम एवं प्रतीक चिन्ह संशोधित किया केवल उनका क्रम संख्या बदल जाएगा एवं तदनुसार मरापत्रों का मुद्रण कराया जायेगा।

3. शपथ पत्र में तथ्य छुपाने के कारण इस मामले में श्रीमती मधुलता देवी के विरुद्ध भारतीय संविधान की धारा 177, 181 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथा संशोधित) की धारा 207 (1) के अंतर्गत संबंधित आने में प्राथमिकी दर्ज हो सके और तीन दिनों के भीतर इसका प्रस्तावित नाम संशोधित की प्रति आयोग को भेजे।

विश्वाराधमान,

सचिव।





कार्यालय निर्वाची पदाधिकारी, नगर पंचायत मुरलीगंज  
आम निर्वाचन 2012

आदेश

वार्ड पार्षद पद हेतु नगर पंचायत मुरली आम चुनाव 2012 के विभिन्न वार्ड संख 05 में वार्ड पार्षद मधुलता देवी पति स्व० कमलकिशोर मंडल के द्वारा दिनांक 24.04.2012 को आम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया। दिनांक 25.4.2012 को नाम निर्देशन पत्र समीक्षा के बाद स्वीकृत किया गया। दिनांक 02.05.12 को प्रपत्र 14 'ख' में मधुलता देवी का नाम अंकित करते हुए वार्ड सं० 05 की विधिसम्मत अभ्यर्थियों की सूची में क्रमांक 03 पर ताला और चाबी प्रतीक आवंटन किया गया।

दिनांक 02.05.2012 को आगनवाडी केन्द्र सं० 02 की सेविका पूनम देवी ने पत्र देकर सूचित किया है कि मधुलता देवी, आगनवाडी केन्द्र संख्या 02 नगर पंचायत मुरलीगंज की सहायिका के पद पर पदस्थापित है तथा मधुलता देवी ने विना चयनमुक्त हुए वार्ड सं० 05 मुरलीगंज नगर पंचायत 1 वार्ड पार्षद के पद के चुनाव के लिए निर्देशन पत्र दाखिल किया है।

तदनुसार इस संबंधित प्रतिवेदन हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुरलीगंज को लिख गया, तथा इसकी सूचना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा को दी गई।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुरलीगंज ने पत्र देकर कहा है कि मधुलता देवी पति स्व. कमलकिशोर मंडल, डोला नगर पंचायत मुरलीगंज में पदस्थापित है। सहायिका मधुलता देवी लगभग 30माह से आगनवाडी केन्द्र पर से अनुपस्थित रहती चली आ रही है। इनके द्वारा सहायिका पद से त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

तदनुसार मधुलता देवी से अपना पक्ष रखने हेतु स्पष्टीकरण की मांग की गई। मधुलता देवी ने अपने पक्ष में कहा कि वर्ष 2009 जुलाई से ही कार्य छोड़ चुकी है, और न ही वे सहायिका पद का भत्ता पाती है।

पुनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा से प्राप्त पत्र (पत्रांक 603/जिला प्रोग्राम शाखा दिनांक 08.05.2012) में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा ने अंकित किया है कि सहायिका द्वारा विधियां बन से तो त्याग पत्र दिया गया है और न ही परियोजना या जिला स्तर से इन्हें पद से हटाया गया है।

उपरोक्त वर्णित पत्र को पढ़ाते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) मधेपुरा से मधुलता देवी के वार्ड सं० 05 मुरलीगंज की वृद्धता के संबंध में आवश्यक विवरण प्राप्त हो सका है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) मधेपुरा के द्वारा इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना से आवश्यक निर्देश मांगा गया। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के पत्र सं० म.नि. 50-105/2012-3173 दिनांक 12.5.12 के द्वारा निर्देश दिया गया कि मधुलता देवी का नामांकन पत्र अवैकृत करते हुए प्रपत्र 14 'ख' से उनका नाम एवं प्रतीक चिन्ह हटा दिया जाय। राज्य निर्वाचन

आयोग बिहार फटना से प्राप्त निर्देश का अनुपालन करने की सूचना जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी नगर पंचायत मुरलीगंज को दी गयी।

राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश का अनुपालन करते हुए मधुलता देवी पति स्व० कमल किशोर मंडल के द्वारा वार्ड पार्श्व ( वार्ड नं० 05) के लिए दाखिल नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत किया जाता है। प्रपत्र 14 'ख' में शेष प्रत्याशियों का नाम एवं प्रतीक चिन्ह यथावत रहेगा, केवल उनका क्रम संख्या बदल जायेगा। संशोधित प्रपत्र 14 'ख' के अनुसार ही मतपत्र का मुद्रण होगा।

विश्वासभाजन

ह० / अस्पष्ट

निर्वाची पदाधिकारी

मुरलीगंज।

ज्ञापांक 71 दिनांक 13.5.12

प्रतिलिपि— मधुलता देवी, पति स्व० कमल किशोर मंडल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— वार्ड सं० 05 के अर्हार्थी श्रीमती ललिता आनन्द / श्रीमती वीणा देवी / श्रीमती कंचन कुमारी / श्रीमती अनिता देवी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह— प्रखंड विकास पदाधिकारी / थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी, कुनारखंड को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— जिला निर्वाचन पदाधिकारी— (नगरपालिका) मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / अस्पष्ट

निर्वाची पदाधिकारी

मुरलीगंज।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी, मधेपुरा.

जिला- मधेपुरा.

प्रति :- ज्ञापां-71 दिनांक- 13.5.2012, निर्वाची पदाधिकारी नगर पंचायत गुरतीगंज के द्वारा वास्तव तरीके से दारिद्र्य निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं मधुजता देवी प्रति स्थापित कमर क्रिकोर फडन नगर पंचायत गुरतीगंज के वार्ड नं०- 08 के स्थायी के रूप में निर्देशन पत्र दारिद्र्य को हूँ। मैं स्थानोद्योग निवासी हूँ जिसमें मैं आगनवाड़ी केन्द्र सं०- 02 महायिका के पद पर पूर्व में थी। जो कि मैंने इस वर्ष पूर्ण हो ब्राह्मण विकास परियोजना पदाधिकारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा को मेरे अपने हाथों से त्याग दा के चुकी हूँ। जिला निर्वाची संलग्न प्रमाणिकरण के रूप में निवाची पदाधिकारी गुरतीगंज को निर्वाची कर चुकी हूँ। उस प्राप्ति में न तो कोई मानदेय वेतन, भत्ता या अन्य लाभ प्राप्त नहीं किया है। जो कि परिणाम स्वरूप केन्द्र बैंक गुरतीगंज, शाखा- सं०- 1868972662 है। कि मुझे प्रतिहंसी नाम हुआ कर नगर पंचायत पुनाम से नाम निर्देशन पत्र अस्वीकृत जिला निर्वाची गहराई से जांच किया हो कराया गया है।

अतः श्री वामु के निवेदन है कि मेरे नाम निर्देशन

पत्र को स्वीकार कर पुनाम में भाग लेने को जांच लेने की कृपा की जाय।

इसके विरुद्ध श्री वामु का पत्राचार जारी रहूँगी।

आपका भाजिका-

श्री. वामु देवी  
निवासी- जिला- मधेपुरा सं०  
वार्ड- मधेपुरा, वार्ड नं०- 15  
नगर पंचायत- गुरतीगंज  
जिला- मधेपुरा

संलग्न :-

1. जिला निर्वाची आयोग अधिकारी, मधेपुरा.
2. जिला निर्वाची पदाधिकारी मधेपुरा.
3. निर्वाची पदाधिकारी गुरतीगंज,
4. जिला निर्वाची पदाधिकारी गुरतीगंज,
5. जिला निर्वाची अधिकारी मधेपुरा.

दिनांक - 15/5/2012